राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर
न्यायालयः-- श्रीमान [illegible] महोदय सागर [illegible] सागर

1. गोविंद पिता पंचे साहू

2. पूरन पिता रामचरण सेन

3. बडी बहू [illegible] पति बेवा दसैया कुमार

सभी निवासी ग्राम मुहरई तह0 हटा

जिला दमोह म.प्र. - अपीलार्थीगण /आवेदकगण

//विरुद्ध//

बिहारी पिता छब्बू कुम्हार
निवासी ग्राम मुहरई तह0 हटा जिला दमोह
- अनावेदक

.निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1. यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार हटा जिला दमोह द्वारा प्र.क्र. 36अ/12 /12-13 मे पारित आलोच्य आदेश दिनाक 19.3.13 से परिवेदित होकर कर रहे है निगरानी के साथ धारा 5 अ. म्याद अधि. का आवेदन पत्र मय शपथपत्र के संलग्न है।

2. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे ग्राम मोहरई पट. ह.नं.- 24/21 स्थित भूमिखसरा नंबर 439 एवं 532 के सीमांकन हेतु प्रस्तुत किया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त भूमि का सीमांकन करने बावत तहसीलदार एवं रा.नि.मं. को आदेशित किया किन्तु तहसीलदार एवं रा.नि. द्वारा मौके पर सीमांकन ना करके बाला-बाला तरीके से - बगैर विधिवत प्रक्रिया अपनाये संहिता की धारा 129 मे दिये गये प्रावधानो को अनदेखा करते हुए सीमांकन प्रतिवेदन एवं फील्डबुक तैयार [illegible] करके अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिसके आधार पर अधिनस्थ

228

R. 3962 [illegible]/13

B.O.R.

23 OCT 2013

77
25-10-13

[illegible]

31-10-13

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3962–तीन/2013 जिला–दमोह

गोविंद आदि विरूद्ध बिहारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी तहसीलदार हटा, जिला– दमोह के प्रकरण क्रमांक 36/अ–12/2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 7/3/19	